

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1730/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(105)-2013
लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर 30, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में,

(क) भाग-क में,-

(एक) कम संख्या 20 की प्रविष्टि में, शब्द "हर्बिसाईड्स, रोडेन्टीसाईड, इन्सेक्टीसाईड, वीडिसाईड और पेस्टीसाईड्स" के पश्चात् अल्प विराम और शब्द " , जिसमें मासकीटो रिपेलेन्ट/डिस्ट्रायर क्वायल्स, मैट्स और लिक्विड सम्मिलित नहीं हैं। " बढ़ा दिये जायेंगे।

(दो) कम संख्या 102 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

(ख) भाग-ग में, कम संख्या 147 की प्रविष्टि में, शब्द " टैक्नीकल ग्रेड के इन्सेक्टीसाईड्स, फग्निसाईड्स, हर्बिसाईड्स, वीडिसाईड्स और पेस्टीसाईड्स" के पश्चात् शब्द " जिसमें मासकीटो रिपेलेन्ट/डिस्ट्रायर क्वायल्स, मैट्स और लिक्विड सम्मिलित नहीं हैं। " बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।